

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं० सं०-17/विविध 1-73/2024-124(17)पटना, दिनांक :-29/01/2026

बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक-13.01.2026 को सम्पन्न विभागीय स्क्रिनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में श्री श्याम नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आहारविद्, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को 10 वर्ष एवं 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के उपरान्त प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में अंकित तिथि/वेतनमान/वेतन स्तर में निम्नरूपेण स्वीकृत किया जाता है :-

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	नियुक्ति/योगदान की तिथि/सेवा सम्पुष्टि की तिथि	स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि एवं वेतनमान/वेतन स्तर
1	2	3	4	5
1	श्री श्याम नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आहारविद् दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा	12.03.1963 31.03.2023	30.08.1995 24.10.2018	प्रथम एम०ए०सी०पी० की देय तिथि-25.10.2018 अपुनरीक्षित वेतनमान- 9300-34800 ग्रेड पे-4600 (पुनरीक्षित वेतन स्तर-7) द्वितीय एम०ए०सी०पी० की देय तिथि-25.10.2018 अपुनरीक्षित वेतनमान-9300-34800 ग्रेड पे-4800 (पुनरीक्षित वेतन स्तर-8)

2. बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित वेतन के भविष्य में वित्त विभाग से सत्यापन के क्रम में या अन्यथा उपर्युक्त एम०ए०सी०पी० के लिए स्वीकृत वेतनमान/वेतन बैण्ड /ग्रेड वेतन/वेतन स्तर आदि में भविष्य में अगर कोई संशोधन किया जाता है तो स्वीकृत एम०ए०सी०पी० आदि में भी तदनुसार संशोधन कर लिया जायेगा।

3. वेतन का निर्धारण यथास्थिति वित्त विभाग के मौलिक नियमावली के नियम-22 (I) एवं (II) अथवा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-630 दिनांक-21.01.2010 एवं संकल्प संख्या-3590 दिनांक-24.05.2017 एवं अन्य संबंधित नियमों में निहित प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

4. सेवापुस्त के संधारण/सेवा सत्यापन के क्रम में यदि भविष्य में संबंधित कर्मों की सेवा में टूट अथवा अन्य किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ पाई जाती है तो उन्हें स्वीकृत एम०ए०सी०पी० निरस्त कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी।


5. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

श्रीपांक-11/विविध 1-73/2024-124(17) पटना, दिनांक :-29/01/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/श्री श्याम नाथ श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त आहारविद्, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।
3A

1